

04 कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)

1. यह संगठन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पश्चात् दिनांक 21.12.2000 को अस्तित्व में आया है।
2. यह मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निर्माण वभागों यथा लोक निर्माण वभाग, जल संसाधन वभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा वभाग तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का आंशक निरीक्षण/निगरानी का है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन वभाग द्वारा निर्दिष्ट वशेष शकायतों की जांच भी शा मल है।
3. वर्ष 2016-17 में व भन्न कार्य वभागों के चल रहे 203 निर्माण कार्यों का निरीक्षण कया गया एवं 143 निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा उपरांत बंद कया गया। 31 मार्च 2017 तक व भन्न निर्माण वभागों से अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के कारण कुल 1371 प्रकरण लंबित हैं। प्रकरण निराकरण हेतु व भन्न निर्माण वभागों को निरंतर स्मरण कराया जा रहा है।
4. वर्ष 2017-18 में व भन्न वभागों को 205 कार्यों का निरीक्षण कये जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके वरुद्ध 30 दिसम्बर 2017 तक कुल 133 कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कया गया है। वर्ष 2017-18 में 165 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा उपरांत बंद कया गया है।
5. संगठन के द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये तकनीकी आपत्ति के वरुद्ध वभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित कार्यों के अनुबंधों से शास्ति के रूप में वर्ष 2016-17 में रु. 56.52 लाख रा श वसूली करायी गई थी एवं वर्तमान वर्ष 2017-18 में 30 दिसम्बर 2017 तक रु. 48.97 लाख की वसूली शास्ति के रूप में की गई है।
6. 31 मार्च 2017 तक कुल लंबित जांच प्रकरणों की संख्या 05 है तथा वर्ष 2017-18 में 09 जांच प्रकरण प्राप्त हुये हैं। इस तरह कुल 14 जांच प्रकरणों के वरुद्ध 30 दिसम्बर 2017 तक 02 प्रकरण का निराकरण कया गया है, शेष 12 प्रकरणों में जांच प्रक्रयाधीन है।
7. संगठन के अंतर्गत कुल 27 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 15 पद प्रतिनियुक्ति के हैं एवं 12 पद सीधी भर्ती से भरा जाना है। स्वीकृत संरचना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के 09 पद भरे हैं एवं 06 पद रिक्त हैं, इस प्रकार सीधी भर्ती के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक सहायक अभियंता सहित का पद भरा है तथा स्थापना के व भन्न 11 पद रिक्त हैं।

8. वर्ष 2017-18 में संगठन को रु. 172.52 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। जिसके वरुद्ध वर्तमान में 30 नवम्बर 2017 तक संगठन द्वारा नियमत स्थापना के वेतन एवं अन्य मर्दों पर कुल रु. 84.11 लाख व्यय किया गया है।